न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :— 26/2017 निर्णय दिनांक :—01.08.2019

1. ओमप्रकाश उम्र 50 वर्ष करीब पुत्र सुखदेव माली जाति माली निवासी ग्राम गोपलाना जोहडा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....वादी

बनाम

1. मोहनलाल उम्र 60 वर्ष करीब पुत्र सुखदेव माली
2. धन्नी देवी उम्र 80 वर्ष करीब पत्नी स्व. सुखदेव माली
3. चन्द्रप्रकाश उम्र 33 वर्ष पुत्र बुद्धिप्रकाश माली समस्त जाति माली निवासी ग्राम गोपलाना जोहड़ा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
4. तहसीलदार, भूधारक तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
5. पटवारी पटवार हल्का ग्राम रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा हक अधिकार व स्थाई निषेधाज्ञा

—:निर्णयः—

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री अनिल मिश्रा(वादी की ओर से)

अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर(प्रति. सं. 01ता03)

वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि कस्बा रामगढ़ की रोही में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 646 खसरा नम्बर 1400(नया) व खसरा नम्बर 784/2(पुराना) रकबा 1.6800 हैक्टेयर का सम्पूर्ण खाता पूर्व मे सुखदेव पुत्र टोडरमल माली ने अपने जीवन काल में उक्त कृषि भूमि के दो बराबर बराबर हिस्से कर दिये थे जिसमें उक्त कृषि भूमि के मध्य में बीचो बीच नींव सीव कायम कर पूर्वी साईड का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल पुत्र सुखदेव व पश्चिम साईड का 1/2 हिस्सा मुझ वादी ओमप्रकाश को दे दी गई थी। अर्थात मोहनलाल को 0.84 हैक्टेयर व मुझ वादी को 0.84 हैक्टेयर भूमि भाग को अलग अलग रूप से कब्जा काश्त व हक अधिकार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का हों गया उक्त परिवारिक सैटलमेंट के अनुसार उपरोक्त कृषि भूमि को अपने—अपने हिस्से व अधिकार के अनुसार काश्त करते चले आते रहे है।

प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल पुत्र सुखदेव माली अपनी निजी आवश्यकता पूर्ति के लिए रूपये की आवश्यकता होने पर परिवार की सहमति से मोहनलाल ने अपना पूर्व साईड का सम्पूर्ण हिस्सा रकबा 0.84 हैक्टेयर उक्त कृषि भूमि में से

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

चन्द्रप्रकाश पुत्र बुद्धिप्रकाश माली को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी संख्या 01 के पिता सुखदेव माली जीवित होने पर (राजस्व रिकॉर्ड में सम्पूर्ण खाता सुखदेवजी के नाम से दर्ज था) इसलिए विक्रय–पत्र सुखदेव पुत्र टोडरमल उर्फ टोरूराम के द्वारा किया गया।

प्रश्नगत आराजी का 1/2 पूर्वी साईड के हिस्से को चन्द्रप्रकाश पुत्र बुद्धिप्रकाश को विक्रय करने के बाद से तथा मोहनलाल द्वारा उक्त विक्रित भूमि की प्रतिफल राशि प्राप्त करने के बाद से प्रश्न गत आराजी में हक अधिकार प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 02 का नही रहा। वादी का प्रश्नगत आराजी के पश्चिम साईड में कब्जा काश्त साधिकार हर आम व खास की जानकरी में करीब 20 वर्षो से निरन्तर निर्बाद शांति रूप से चला आ रहा है। इसलिए वादी राजस्व रिकॉर्ड का खाता अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः वाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि कस्बा रामगढ़ की रोही में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 646 खसरा नम्बर 1400(नया) व खसरा नम्बर 784/2(पुराना) रकबा 1.6800 हैक्टेयर के पश्चिम साईड का 1/2 हिस्सा रकबा 0.84 हैक्टेयर भूमि भाग वादी के नाम उद्घोषित तथा राजस्व रिकॉर्ड मे वादी का नाम उक्त पश्चिम साईड के 1/2 रकबा 0.84 हैक्टेयर में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार का अन्तरण, हस्तांतरण अथवा राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का अवैध अंकन न तो करे अथवा करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नही होने से उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 नें जबाब दावा पेश कर दावे के समस्त तथ्यो को स्वीकार करते हुए कथन किया कि वाद डिक्री किये जाने पर उत्तरदातागण को कोई आपति नही है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने उपस्थित अदालत होकर वादी के पक्ष में राजीनामा व स्वयं के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

वादी ने वाद के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खसरा नम्बर 1400, मिलान क्षेत्रफल, नक्सा ट्रेस, जमाबन्दी सम्वत 2058–61 खसरा नम्बर 784/2, सुखदेव का मृत्यु प्रमाण पत्र, लिखावट दिनांकित 27.03.1999, सरपंच ग्राम पंचायत ताखलसर का वारीस प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात पेश किये, जो शामिल पत्रावली है। विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रदर्श संख्या 07 से प्रमाणित होता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1400(नया) खसरा नम्बर 784/2(पुराना) रकबा 1.68 हैक्टेयर में से 0.84 हैक्टेयर आराजी पर प्रतिवादी संख्या 03 चन्द्रप्रकाश

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

(सिद्धि सिंह) उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

(पृष्ठ)

Scanned by CamScanner

का कब्जा काश्त है तथा 0.84 हैक्टेयर आराजी पर वादी ओमप्रकाश का कब्जा काश्त है। मृतक सुखदेव के पुत्र प्रतिवादी कम 01 मोहनलाल तथा पत्नि प्रतिवादी संख्या 02 धन्नी देवी ने उपरोक्त पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किये जाने बाबत किसी प्रकार की कोई आपति जाहिर नही की है। दावे की मद संख्या 02 के अनुसार वादी के मृतक पिता सुखदेव के जीवनकाल में ही वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य पारिवारिक सेटलमेंट हो जाने के कारण 1/2–1/2 हिस्सा पर पक्षकारो का कब्जा काश्त हो चुका था, प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपना 1/2 हिस्सा(पूर्वी साईड) प्रतिवादी संख्या 03 चन्द्रप्रकाश को अपंजीकृत दस्तावेज से बेचान कर दिया गया। राजीनामा (प्रदर्श संख्या 07) के अनुसार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 03, वादी तथा प्रतिवादी कम 3 के विवादित आराजी पर कब्जे काश्त को स्वीकार करते है।

चूंकि पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष मे किये गये बेचान की पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति उपलब्ध नही कराई गई है और न ही वादी तथा प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य निष्पादित पारिवारिक बंटवारा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाया गया है। पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निष्पादित इकरारनामा प्रदर्श 6 से भी जाहिर होता है कि विवादित आराजी का अपंजीकृत बेचान ही किया गया है। अतः साबित होता है कि स्टाम्प ड्यूटी से होने वाली राज्य सरकार की आय को क्षति पहुचाने का प्रयास पक्षकारो द्वारा किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 03, प्रतिवादी संख्या 01 का रक्त संबंधी रिश्तेदार प्रमाणित नही है, क्योंकि प्रदर्श संख्या 11 सजरा के अनुसार मृतक सुखदेव के उत्तराधिकारी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ही प्रमाणित होते है। अतः प्रकरण मे स्टाम्प ड्यूटी की क्षति साबित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी वाके कस्बा रामगढ़ खाता संख्या 646 खसरा नम्बर 1400(नया) खसरा नम्बर 784/2(पुराना) रकबा 1.6800 हैक्टेयर पश्चिम साईड के 1/2 हिस्सा रकबा 0.84 हैक्टेयर का वादी को सशर्त खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है कि वह आराजी के वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी की राशि राजकोष में जमा करवायें। वादी के पक्ष में नामान्तरकरण, राशि राजकोष में जमा होने पर दर्ज हो। पत्रवाली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 01.08.2019 कों खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ शेखावाटी

Scanned by CamScanner